राज्यपाल सचिवालय

राजभवन, जयपुर

## राज्यपाल श्री बागडे ने जारी किए आदेश

## स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कार्यावाहक कुलगुरु डॉ. अरुण कुमार को पद से हटाया

जयपुर, 26 अगस्त। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे ने स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु एवं कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के कार्यावाहक कुलगुरु डॉ. अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं।

श्री बागडे द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत डॉ. अरुण कुमार के विरूद्ध विभिन्न गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई थी। जांच के लिए संभागीय आयुक्त, जोधपुर को निर्देशित किया गया था। संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में डॉ. अरुण कुमार द्वारा के विरूद्ध  अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन करने में जानबूझकर लोप करने, प्रदत्त शक्तियों का दुरूपयोग करने, विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि पहुंचाने आदि के कृत्य प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये।

राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री हरिभाऊ बागडे ने इस आधार पर  राज्य सरकार के परामर्श से डॉ. अरुण कुमार को तत्काल प्रभाव से दोनों विश्वविद्यालयों के कुलगुरु पद से हटाने के आदेश जारी किए हैं।

————